18.02.2022 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता रेस्पो. उप.।
अपीलांट अधिवक्ता नोटिस सूचना
अनुपस्थित। अपीलांट द्वारा न्यायालय
द्वारा दिनांक 27.11.2013 को
अपने पक्ष में एकतरफा स्थगन आदेश
पारित करवाया लेकिन आज तक रेस्पो.
संख्या 01 से 03, 09 से 11, 12(ग) के नाम
रजिस्टर्ड सम्मन/नोटिस रजिस्टर्ड डाक
की रसीदे पेश नहीं की है जो न्यायालय
आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
अपीलांट अधिवक्ता द्वारा रेस्पो. 1,12क
के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की जा रही है।
अतः अपील का उपशमन होने से
अपील इसी स्टेज पर खारीज की
जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर
से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर